nt>

14.06 hrs

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at six minutes

past Fourteen of the Clock.

(Shri P.H. Pandian *in the Chair*)

Title: Discussion on the Banking Companies (Legal Practitioners' Clients' Accounts) Repeal Bill, 2001 (Bill passed.)

MR. CHAIRMAN: We shall now take up item no. 9 − Banking Companies (Legal Practitioners' Clients Accounts) Repeal Bill.

Hon. Minister, Shri Balasaheb Vikhe Patil.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL): Sir, I beg to move:

> **"That the Bill to repeal the Banking Companies (Legal Practitioners' Clients' Accounts) Act, 1949, be taken into consideration. "**

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

> That the Bill to repeal the Banking Companies (Legal Practitioners' Clients' Accounts) Act, 1949, be taken into consideration. "

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : सभापति जी, बैंककारी कंपनी (विधि व्यवसायियों के मुवक्किलों के खाते) निरसन विधेयक 2001 माननीय राज्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। यह मूल बिल 1949 में पास हुआ था जिस पर 1958 में गठित आयोग ने सिफारिश की थी कि इसे निरस्त किया जाये, इसे समाप्त किया जाये। विचारणीय विाय यह है कि बिल किस मकसद से लाया गया था, फिर ऐसी क्या वजह हो गई जो आयोग ने अनुशंसा की कि इस बिल को निरस्त कर दिया जाये। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि जसवंत बाबू ने इस बिल पर अपने हस्ताक्षर किए थे। राज्य मंत्री जी से काम लिया जाता है लेकिन इनका नाम नहीं हो पाता है। कम से कम इनका नाम रहता है तो कोई हर्ज नहीं है, जैसे हम लोगों के प्रश्न उत्तर में दिग्विजय बाबू जी का नाम रहता है। उत्तर नहीं भी दिया जाये तो राज्य मंत्री गंगवार साहब का अखबार में नाम पढ़ लेते हैं कि गंगवार साहब ने उत्तर दिया। वह उत्तर नहीं देते हैं लेकिन अखबार में निकल जाता है कि गंगवार साहब ने उत्तर दिया।

हम लोग अचंभित हो जाते हैं कि दिग्विजय सिंह जी का उत्तर तो कहीं देखा था, लेकिन समाचार पत्रों में ... (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : राज्य मंत्रियों की घोर दुर्दशा है । â€¦(व्यवधान)

श्री राजो सिंह : इन्होंने बिल के उद्देश्यों का कारण एवं कथन में कहा है कि जो जमाकर्ता है, उसके खाते में गडबड़ी हुई है और उसके नाम पर दूसरा पैसा निकाल लेता है, इसलिए इस बिल को रद्द करना चाहते हैं। इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इन्होंने ईमानदारी से सदन के सामने इस बात को स्वीकार किया है कि बैंक से गलत तरीके से रुपए निकाल लिए जाते हैं । इस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । मुंगेर में एक ग्रामीण बैंक है । वहां अध्यक्ष रहते हैं और बैंक में जितना रुपया रखा, उसको दूसरा हस्ताक्षर करके रुपया निकाल ले गया । जब इस बारे में लोगों ने चर्चा की, लोगों ने उनसे आग्रह किया तो बैंक के

मैनेजर को मात्र यह सजा हुई कि उसको ससपैंड कर दिया गया और चार महीने के बाद ससपैंशन उठा लिया गया, लेकिन रुपए जिसने जमा किए थे, उसको रुपए आज तक नहीं मिले। यह बिल छोटा है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राट्रपति के आदेशानुसार राजभाषा नियम का पालन होना चाहिए। आदरणीय पाण्डेय जी सदन में मौजूद हैं और जहां से आप आते हैं, वह "क" क्षेत्र की कैटेगरी में है । बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश "क" क्षेत्र में आते है और "क" क्षेत्र की भाषा हिन्दी है । बैंक में जो रजिस्टर लिखा जाता है, वह अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है। किसान बैंक में जो पैसा जमा कराता है, उसकी जानकारी रजिस्टर में अंग्रेजी में लिखी जाती है । बिहार का किसान, झारखण्ड का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, जो अपने खाते में पैसा जमा कराता है, उसके पता नहीं है कि किस कालम में क्या लिखा हुआ है। राट्रपति जी का आदेश सरकार नहीं मानेगी, तो कौन मानेगा । यह देश की समस्या है और इस देश का दुर्भाग्य है कि देश को राजभाषा अपनाने के लिए समिति का गठन करना पड़ा । हम लोगों ने सैंट्रल हाल में देखा, क्लिंटन साहब का भाषण अंग्रेजी में हुआ और रूस के राट्रपति पुतीन साहब का रूसी भाषा में हुआ । इस विभाग को गृह मंत्रालय में रखा गया और इस विभाग को आज आडवाणी जी संभालते हैं । आपके ही दल के एक माननीय सदस्य ने इंदिरा जी से कहा था कि राजभाषा के लिए एक अलग से विभाग बना दिया जाए । इस पर इंदिरा जी ने कहा था कि गृह विभाग बहुत मजबूत और ताकतवर होता है और अगर राजभाषा विभाग उसके साथ ही रहेगा, तो सारे देश पर उसका असर पड़ेगा । मेरा आपसे निवेदन है, जब तक बैंक खाते हिन्दी मे नहीं लिखेंगे, तो ये घटनायें होती रहेंगी । आपको 1998 में आयोग बनने के बाद यह निर्णय करना पड़ा है । यह निर्णय आपने नहीं किया है, आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं थी। आयोग ने कहा, इसलिए आप इसको निरस्त कर रहे हैं।

महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बिल बहुत छोटा है - " देखन में छोटे लगें, घाव करें गम्भीर ।" इसके चलते जहां किसी दूसरे व्यक्ति का रुपया निकाल लिया गया,

मैं चाहता हूं कि कृपा करके आप इसकी जांच कराएं। मुंगेर ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, ताज्जुब है कि ग्रामीण बैंक का जो अध्यक्ष होता है, उसमे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वहां से एक व्यक्ति का रुपया कोई दूसरा आदमी निकाल लेता है और उसके रुपए की भरपाई भी नहीं होती है।

महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेरे सुझाव हैं, कृपया आप उन पर ध्यान दें। हिन्दीभाषी क्षेत्रों में जो बैंक हैं- चाहे ग्रामीण बैंक हो, स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, कैनारा बैंक हो या जो भी बैंक हो, उसके सारे रजिस्टर्स के सभी कॉलम्स को हिन्दी में तैयार करवाएं, क्योंकि हमारी राजभाषा हिन्दी है। मुंगेर के जिस ग्रामीण बैंक ने इस तरह की गड़बड़ी की है उसकी जांच करवा कर उस पर कार्यवाही करें और जिसके पैसे की निकासी हो गई है, उसका भुगतान कराएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आप देर आए, दुरूस्त आए, आपने अच्छा काम किया है, इसके लिए आपको धन्य वादâ€¦(व्यवधान)

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : इसमें हमारा यह कहना है कि हर रीज़नल लैंग्वेज में पेपर्स होने चाहिए।

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, I support the Bill. I will complete my speech within two minutes.

The main intention of the Bill is that previously a lawyer was opening an account for his client in the bank while he was just dealing with the case and for that he was being given some protection. Now, as per the guidelines of the Reserve Bank of India, since no legal practitioner has been opening or operating any client's account with the banking companies, therefore, the protection given to the banking companies has become redundant.

Sir, during the last ten or fifteen days so many Bills, which were the legacy of the colonial rule and had been redundant, have been repealed. This is one such Bill which has actually no justification of being continued now. So, I think, the Government has actually thought in terms of repealing this Bill.

Sir, since it is a small Bill, I do not want to continue my speech.

With these few words, I conclude.

DR. B.B. RAMAIAH (ELURU): Mr. Chairman, Sir, I also agree with my other colleagues. This Bill was enacted in 1949. At that time, probably, the clients might have to depend on various legal practitioners to utilise their services, protection, etc. That is why, this particular Bill must have been provided at that time. But when the review was made in the administrative laws in 1998, the recommendation, probably, was made that there is no necessity any more of this Act and it has to be repealed. Subsequently, the Reserve Bank of India have also examined this and they also felt that it is a genuine demand that this provision should not be there anymore.

But, in any case, as our hon. Members have said, farmers and various other people have to maintain their accounts through the banking system. Today, after computerisation and development of the latest technology, we should be able to give the numbers for each individual. On that basis, they should be able to issue identity cards to them so that they should be able to operate easily, without any difficulty. As such, the banking system should be widely publicised which should be in the interests of all others, as the practice of using banks has become more important.

Sir, in any case, I strongly support the Bill and I entirely agree with the hon. Minister.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, सन् 1998 में जो जैन आयोग बैठा, उसने पाया कि सेंटर के 2500 कानूनों में से 1300 से ज्यादा ऐसे हैं जो इस्तेमाल में नहीं आते हैं। अतः उनको खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस सरकार से वे जाकरी कानून खत्म नहीं हो रहे हैं। देखिये, 1998 में जैन आयोग की रिपोर्ट आई और अभी कुछ दिन पहले विधि मंत्री एक साथ 17 कानून लाए। लेकिन उस कमीशन ने कहा था कि एक विधेयक से ही सब जाकरी कानूनों को खत्म किया जाए लेकिन यह सरकार एक-एक विधेयक ला रही है। जरा बताइये कि वित्त मंत्रालय में ऐसे कितने विधेयक हैं जिनको जैन आयोग ने कहा था कि इनको निरस्त किया जाए। शायद कानून मंत्री को भी इसका पता न हो। जो 43 कानून लागू हुए हैं वे भी विभिन्न विभागों में ऐसे ही पड़े हैं। अभी हमें 1300 से ज्यादा को निरस्त करना है और उसके बाद 1200 बचेंगे। सारे कानूनों को मिलाकर देखें तो 25000 से ज्यादा कानून हैं। किसी राज्य में 700 किसी में 800 कानून हैं। लेकिन यह कभी एक बिल लाए हैं कभी दो बिल लाए हैं।

बैंकों के बारे में क्या हो रहा है? उसमें क्या था कि वकील अपने क्लाइंट के बदले में खाता खोल सकते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अभी कोई खाता नहीं खोल रहा है इसलिए इस प्रावधान को खत्म कर दिया जाए। जब सन् 1969 में लोगों ने महसूस किया था कि यह कानून होना चाहिए तो उसमें क्या कमी रह गयी, उसको बताने की जरूरत इनको नहीं है। आयोग ने कहा कि खारिज कीजिए और साथ में रिजर्व बैंक ने भी कहा लेकिन अब देश में बैंकों के बारे में क्या हो रहा है। कहीं ये लोग बैंकों को बेचने में लगे हैं और बैंक के लोग आतंकित हैं, जुलूस-प्रदर्शन आदि कर रहे हैं। उसके लिए आपने कानून क्यों नहीं बनाया?

यह निरसन कानून लाकर आप कह रहे हैं कि हम सही काम कर रहे हैं। आप देखिये कि 62000 करोड़ रुपया एनपीए का है। वित्त मंत्री बजट में दबाकर क्यों बैठे हैं? केवल 800 करोड़ रुपया वसूल हुआ है। लगता है कि आप पुरस्कार लेने का काम कर रहे हैं। सारे कानूनों को आप एक साथ खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं। जैन आयोग की अनुशंसा की आप अवेहलना कर रहे हैं। जैन आयोग ने कहा था कि आप एक बार में इनको निरस्त कीजिए। अभी बैंकों में कितना काम सुधार करने का बाकी है, उसको कीजिए। हम लोगों का समय कीमती है, उसको और वियों पर लगाने की जरुरत है। बैंकों को बचाने का काम सबसे पहला है। बैंकों को बेचने का काम आप बंद कीजिए। वहां पर वीआरएस हो रहा है और अनुभवी लोगों वहां से जा रहे हैं। माननीय नीतीश सेन जी अनुभवी हैं, वह सरकार को क्यों नहीं बताते हैं। सरकार यह सब प्रतिगामी कदम उठा रही है।

स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने बैंकों को नेशनलाइज किया था। कहा गया था कि बैंकों से गरीबों को ऋण मिलेगा, महाजनी प्रथा खत्म होगी, शोाण खत्म होगा। लेकिन आप फिर से उनका निजीकरण कर रहे हैं। जब बैंकों का निजीकरण होगा तो क्या बैंक जनता को ऋण देगा, नहीं देगा। इसलिए गरीब के लिए जो असली काम है उसको किया जाए। महाजनी प्रथा में सूदखोरी होती है, गरीबों का शोाण होता है, उसी को बंद करके बैंकों को नेशनलाइज किया गया था।

आप सब कुछ उल्टा चला रहे हैं। सब कुछ प्राइवेटाइज कर रहे हैं। गवर्नमैंट को कैसे प्राइवेटाइज करेंगे? ऐसा कोई सिस्टिम नहीं है। मल्टी नेशनल कम्पनियों के बड़े-बड़े आदमियों और पूंजीपतियों को प्रधान मंत्री जी ने अपना सलाहकार बनाया है। शिक्षा विभाग में भी यही हाल है। उनमें भी ऐसे लोग बिना किसी रोक-टोक के चले आ रहे हैं। इधर बैठे सभी लोग हमें यही कहते हैं कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है और गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। आपके सामने जो कुछ आता है, आप उसे पास कराते जा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आयोग की अनुशंसा को आप स्वीकार करिए और एन.पी.ए. को उसूल वाला बनाइए। बैंकों में जो अनुभवी कर्मचारी और अधिकारी थे, वे आपकी गलत नीतियों की वजह से बैंक छोड़ कर जा रहे हैं। सभी अनुभवी आदमी बाहर चले जाएंगे तो बैंकों की क्या दुर्दशा होगी, इस बारे में आप सब जानते हैं। आप अलग-अलग कानूनों पर समय नट न करिए यही मेरा आग्रह है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : सभापति महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इसे खारिज करने के लिए एकमत से सहमति दी और इसका समर्थन किया। माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में चन्द बैंतें भी कहीं। जब से यह कानून पारित हुआ तब से इसका अमल नहीं हुआ। रघुवंश प्रसाद जी ने जैन कमीशन के सम्बन्ध में कई बैंतें कहीं। इसके बारे में सब को अनुभव है। हरेक मंत्रालय यदि इसे खारिज करने की सिफारिश करता है और इसके बाद यदि जरूरत पड़ती है तो वह कैबिनेट के सामने जाता है। कैबिनेट उस पर गौर करता है और निर्णय लेता है। हम जल्दबाजी में जो कुछ भी करते हैं तो कहा जाता है कि जल्दबाजी में इकट्ठे खारिज करने की कोशिश हो रही है। कानून की एक प्रक्रिया होती है और उसके हिसाब से चलना पड़ता है। इसी हिसाब से मुझे लगता है कि चाहे वित्त विभाग हो या दूसरा कोई विभाग हो, उसे चाहे कोई सिफारिश न भी करे लेकिन यदि कानून ठीक हो तो उसे लेकर आगे चलना पड़ता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ऐसी कोई ग्लैत बैंत और काम नहीं है।

हमारे एक साथी राजो सिंह जी ने शुरु में कहा कि किसी का पैसा किसी दूसरे ने उनके खाते से निकाल लिया। इसकी शिकायत आने के बाद जनरल मैनेजर को सस्पैंड कर दिया लेकिन किसी और के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस का वह पैसा था, उसे वह नहीं मिला। इसकी जांच हुई लेकिन हम इसकी और जांच करेंगे। जब कोई पैसा डिपाजिट होता है तो इसकी इंश्योरेंस भी होती है। इंश्योरेंस होते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसे देखेंगे।

दूसरी बैंत यह है कि हिन्दी भाा राजभाा है। मैं इस बैंत से सहमत हूं। जब बैंक रिक्रूटमैंट करता है तो देखता है कि उस स्थान पर बोली जाने वाली भाा की उसे जानकारी हो। ऐसे लोगों को प्रैफरेंस दिया जाता है। रीजनल लैंग्वेज कोई भी हो चाहे वह हिन्दी हो. स्रमिल हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, गुजराती हो, सरकार की यही कोशिश है कि आम लोगों को सहूलियत हो और कम से कम उनकी अपनी भाा में व्यवहार हो।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : आप कम्पलशन करेंगे तभी लोग इसे मानेंगे।

श्री बालासाहिब विखे पाटीलः जिस भाा में जिसका व्यवहार होता है, उसमें उनको अधिकार है और उसी भाा में उनके साथ व्यवहार किया जाता है। मराठी भाा बोलने वाले के साथ कन्नड़ भाा या इंग्लिश का व्यवहार नहीं होता।

श्री मोहन रावले : सभी राट्रीयकृत बैंकों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री बालासाहिब विखे पाटीलः आप हमें बता देना कि इसमें कैसे सुधार करने की जरूरत है?

â€¦(व्यवधान) हिन्दुस्तान के लोग अधिकतर मुम्बई अैंते हैं और वह इनका चुनाव क्षेत्र है।

इसमें बाकी विाय ज्यादा नहीं अैंते हैं। जहां तक एन.पी.ए. की बैंत की गई है, रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने गाइडलाइन्स दी हैं ताकि मुवक्किलों को राहत मिल सके। मुझे लगता है कि इसमें कुछ काम हो रहा है। जब आंकड़ें आ जायेंगे, तब कुछ काम आगे आगे चला जायेगा।

सभापति महोदय, स्वेच्छा सेवानिवृत्ति के बारे में कई बार हाउस में चर्चा हुई है। यह किसी पर जबरदस्ती नहीं है और न इसमें घबराने की बैंत है। यदि कोई चला जायगा तो भी बैंक का काम च्लैता रहेगा। जिनको जाना है, वे जायें और जो आजादी चाहते हैं, उन्हें यह सुविधा लेने दें। यदि कुछ नौजवान रह जायेंगे तो उनको बढ़ावा मिलेगा और उन लोगों का भविय बनेगा। ऐसा नहीं कि कम कर्मचारी रहेंगे तो बैंक का काम नहीं होगा □ लेकिन बैंक का काम जो योगदान देना है, वह देगा। हमें यह भी मालूम है कि ज्यैंदातर कर्मचारियो ने इस स्कीम का स्वागत किया है। इसलिये मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि बैंकिंग कम्पनीज़ (लीगल प्रैक्टीशनर्स क्लाइंट्स एकाउंट्स) रिपील एक्ट, 1949 को खारिज करने का जो विधेयक आया है, उसे खारिज करने में सभी सहमति दें.।

श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, एन.पी.ए. के बारे में मेरा सुझाव है...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Shri Rawale, you have not participated in the discussion. Only those Members who have participated in the discussion are entitled to seek clarification and not others.

The question is:

> "That the Bill to repeal the Banking Companies (Legal Practitioners' Clients' Accounts) Act, 1949, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

> "That clause 2 stand part of the Bill. "

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.